अौषधीय वनस्पतियों के विपणन की कार्यनीति

" उत्तराखण्ड के जनपद चमोली के विशेष सन्दर्भ में "

*डॉ0 मनीषा तिवारी **पूनम

सारांश (Abstract)– प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली में औषधीय वनस्पतियों के विपणन की व्यवस्था का अध्ययन किया गया है। यहॉ कृषकों/संग्रहकर्ता से लेकर उपभोक्ता के बीच कई कड़ियों की अहम भूमिका है। विशेषतौर पर मध्यस्थों की, जो कि कृषकों/संग्रहकर्ता से अधिक लाभ कमाते हैं तथा कठोर परिश्रम करने वाले कृषक वर्ग को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। जनपद चमोली में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखण्ड के सभी जनपदों में विपणन की व्यवस्था लगभग एक समान है। इसी कारण कृषक वर्ग औषधीय वनस्पतियों के कृषिकरण के प्रति हतोत्साहित हो रहे हैं। अतः औषधीय वनस्पतियों के कृषिकरण को बढ़ाने के लिये यह अति आवश्यक है कि मध्यस्थ वर्ग को समाप्त कर ऐसी विपणन की कार्यनीति तैयार की जाए कि कृषक वर्ग को पूरा लाभ मिल सके तथा औषधीय वनस्पतियों के कृषिकरण को बढ़ावा मिल सके।

शब्द सूचक (Key words)– औषधीय वनस्पति, कृषिकरण, विपणन, कार्यनीति।

प्रस्तावना (Introduction)– वर्तमान में विश्व स्तर पर हर्बल आधारित औषधीय उत्पादों की मांग तथा उपयोगिता में लगातार वृद्धि हो रही है। क्योंकि स्वास्थ्य रक्षण के लिए रसायनों से तैयार औषधीयों से अनेक दुष्प्रभाव सामने आये हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार ' वर्तमान में औषधीय उत्पादों का बाजार 60 बिलियन डालर तक पहुॅच गया है, और 2050 तक यह 5 ट्रिलियन डालर तक हो सकता है।' पूरे विश्व में 21000 औषधीय पादप प्राकृतिक रूप से पाये जाते है। जिनमें से लगभग 8000 प्रजातियों का उपयोग लगभग 10000 से अधिक स्वास्थ्यवर्धक एवं खानपान के विकल्प के उत्पादों के निर्माण में किया जाता है (**जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा प्रकाशित हिम हर्बल दर्पण, अगस्त 2010**.) । एशिया में 15000 प्रजातियों का उपयोग स्वास्थ्यवर्धक औषधीयों के लिए किया जाता है, जिनमें से 7000 प्रजातियां चीन में पायी जाती है, और 8000 प्रजातियां भारत में (negi et al.,2010.)। वैश्विक बाजार में आयुर्वेदिक औषधीय का व्यापार लगभग 27 बिलियन प्रविवर्ष है, जिसमें कि भारत की भागीदारी 3.5 बिलियन प्रतिवर्ष है और यह प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है (Kala, 2006)। वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन औषधीय वनस्पतियों का प्रयोग विश्व स्तर पर बढ़ता जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर औषधीय पादपों के निर्यात में कुछ ही देशों का योगदान है जिसमें भारत का नगण्य स्थान है। जबकि भारत औषधीय पादपों से भरपूर सम्पदा का राष्ट्र है।

* शोध निर्देशिका एवं एसोसिएट प्रोफेसर ,अर्थशास्त्र विभाग, सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय रूद्रपुर, , कुमाऊॅ विश्वविद्यालय नैनीताल 263001, उत्तराखण्ड।

**शोध छात्रा ,अर्थशास्त्र विभाग, सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय रूद्रपुर, कुमाऊॅ विश्वविद्यालय नैनीताल 263001, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड भारतीय हिमालयी क्षेत्र का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंश है। उत्तराखण्ड में लगभग 240 हर्बल दवा निर्माता कम्पनियां है जिसमें से 37 उच्च गुणवत्ता निर्माण पद्धति के अन्तर्गत प्रमाणित हैं तथा इन सभी कम्पनियों द्वारा लगभग 300 पादप प्रजातियों का व्यावसायिक रूप में उपयोग किया जाता है। प्रतिवर्ष उत्तराखण्ड में 15000 टन जड़ी–बूटियों औषधीय पादपों की आवश्यकता है। और इस प्रयुक्त मांग में प्रतिवर्ष 3 से 4 गुना वृद्धि हो रही है, औषधीय पौधों से उत्तराखण्ड को प्रतिवर्ष लगभग 65 करोड़ की आय होती है, तथा वर्ष 2010 तक उत्तराखण्ड में औषधीय पादपों पर आधारित कच्चे माल का बाजार लगभग 500 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है (**जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा प्रकाशित हिम हर्बल दर्पण, अगस्त 2010.**) जो निरन्तर वृद्धि की ओर अग्रसर है।

सन् 1949 से ही उत्तराखण्ड में औषधीय पादपों पर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना के लिए प्रयास आरम्भ किये गये थे। विगत चार दशकों में विश्व स्तर पर औषधीय पादप उत्पाद आधारित प्राकृतिक अवयवों को वृहद रूप से अपनाये जाने के फलस्वरूप प्राकृतिक आवासों से औषधीय पादपों की उपलब्धता क्षीण होती जा रही है। दूसरी ओर औषधीय पादपों की मांग, रोग निदान एवं सौन्दर्य प्रसाधनों के निर्माण में लगातार बढ़ती जा रही है। अतः इन प्रजातियों के प्राकृतिक संरक्षण, शोध एवं विकास तथा कृषिकरण के उदेश्य से तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पर्वतीय विकास विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष 1989 में जनपद चमोली स्थित मण्डल में जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान के निदेशालय की स्थापना की स्वीकृति हेतु शासनादेश जारी किया गया। वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के उपरान्त राज्य में पर्यटन व तीर्थाटन, जल संसाधनों के सतत् उपयोग एवं औषधीय वनस्पतियों के समग्र विकास से इस पर्वतीय प्रदेश की आर्थिकी को उत्पादकता आधारित बनाने के प्रयास किये गये। इसी क्रम में वर्ष 2002 में उत्तराखण्ड को हर्बल प्रदेश घोषित किया गया और जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल–गोपेश्वर, चमोली को राज्य स्तरीय शीर्ष क्रियान्वयन संस्था के रूप में नामित किया गया। भेषज विकास इकाई, भेषज संघ, वन विकास निगम, कुमाऊॅ एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम, स्वयं सेवी संस्थाएं, कृषक समूह, शोध एवं विकास संस्थान तथा वन विभाग इस क्षेत्र के विकास में सहयोगी संस्थाओं की भूमिका में कार्यरत हैं। उत्तराखण्ड राज्य में औषधीय वनस्पति सम्पदा सर्वेक्षण, संरक्षण, अभिलेखीकरण, कृषिकरण एवं विपणन सम्बन्धी क्रियाकलापों के संचालन से उत्तराखण्ड को अग्रणी हर्बल प्रदेश के रूप में प्रतिष्ठित करना, कृषिकरण से सम्बन्धित क्रियाकलापों जैसे पौधशाला विकास, वातावरण के अनुरूप चयनित प्रजातियों का कृषिकरण, बाजार तंत्र का विकास एवं स्थानीय स्तर पर लघु उद्योगों के विकास के प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं। प्राकृतिक आवासों से अवैध दोहन समाप्त करना एवं प्रभावी रूप से कृषिकरण आधारित संरक्षण को बढ़ावा देना तथा इन सभी परिकल्पनाओं को मूर्त रूप देने के लिए कई नीतिगत प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं। जिनके अन्तर्गत औषधीय पादपों का कृषिकरण कर रहे काश्तकारों का पंजीकरण, पंजीकृत काश्तकारों को उचित प्रशिक्षण, कृषिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए चयनित प्रजातियों पर 50 प्रतिशत अनुदान व्यवस्था प्रदान करना, प्रसंस्करण इकाई के लिए कृषक समूहों को अनुदान प्रदान करने, कृषकों को प्रोत्साहन के लिए निशुल्क बीज पौधे वितरण एवं कृषिकरण से उत्पादित उत्पादों की निकासी के लिए रवन्ना प्रकिया का सरलीकरण तथा प्रतिबन्धित प्रजातियों के कृषिकरण के लिए नीतिगत निर्णय आदि प्रमुख हैं।

शोध क्षेत्र एवं शोध प्रविधि (Research Area and Methodology)– प्रस्तुत शोध पत्र का क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य का जनपद चमोली है। उत्तराखण्ड हिमालय के उत्तर–पश्चिम में स्थित एक राज्य जो 28^0 43′ से 31^0 27′ उ0 से 77^0 34′ – 81^0 2′ पू0 में स्थित है। उत्तराखण्ड राज्य का एक पहाड़ी जिला तथा भारतीय हिमालयी क्षेत्र का एक मुख्य अंग है। जनपद चमोली का भौगोलिक क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। तथा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला चमोली उत्तराखण्ड का उत्तरकाशी के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला है। इसका अक्षांशीय विस्ताार 30–31′ उत्तर में तथा देशान्तरीय विस्तार 79–80′ पूर्व में है (अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग जनपद चमोली 2012–2113)। जनपद का उत्तरी भाग चीन (तिब्बत) को छूता है, तथा साथ ही उत्तराखण्ड के छः जिलों से घिरा हुआ है। जनपद चमोली में 3,91,114 जनसंख्या निवास करती है (**जनगणना 2011**)। तथा जनसंख्या में वृद्धि की दर 5.6 प्रतिशत है (**2001–2011**)। जिले में 09 विकासखण्ड हैं। जनपद चमोली का 69 प्रतिशत भाग वन से आच्छादित है (Industrial Profile of District Chamoli, Micro, Small and Medium Enterprises – Development Institute, Uttarakhand)।

प्रस्तुत शोध पत्र में औषधीय वनस्पतियों के विपणन की व्यवस्था का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों तरह के ऑकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक ऑकड़ों में शोध अध्ययन कि लिए चार औषधीय वनस्पतियों की प्रजाति का चयन किया गया है, ये वनस्पतियॉ – कूठ, कुटकी, फरण और कालाजीरा है, तथा इन प्रजातियों का कृषिकरण उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली के घाट, जोशीमठ तथा देवाल में होता है। ऑकड़े प्राप्त करने के लिए प्रश्नावलियॉ तैयार की गयी तथा क्षेत्र में जाकर कृषकों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर जानकारी ली गयी। द्वितीयक ऑकड़ों के लिए शीर्षक से सम्बन्धित कार्य की आवश्यकतानुसार पुस्तकालय, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान चमोली उत्तराखण्ड, जिला सांख्यिकी विभाग चमोली, समाचार पत्रों, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, उत्तराखण्ड, जिला भेषज संघ चमोली तथा सम्बन्धित कार्यालयों से भी जानकारी प्राप्त की गयी।

परिणाम और चर्चा (Result and Discussion)-

औषधीय वनस्पतियों के विपणन की व्यवस्था–

विपणन की समस्या– औषधीय वनस्पतियों के बाजार मूल्य सरकार द्वारा निश्चित न होने के कारण तथा कृषकों को उचित मूल्य ज्ञात ना होने के कारण कृषकों की जागरूकता औषधीय वनस्पतियों के कृषिकरण के प्रति नहीं हो पा रही है। स्थानीय कृषकों के अनुसार उनके द्वारा उत्पादित किये गये माल के खरीददार भी समय पर नहीं आते हैं इन प्रजातियों में से कुटकी एक ऐसी प्रजाति है जिसके अनेक उपयोग हैं तथा वैश्विक स्तर पर इसकी बहुत अधिक मांग है। और स्थानीय लोगों द्वारा इसका कृषिकरण भी हो रहा है, फिर भी बाजार व्यवस्था सही न होने के कारण कृषक कुटकी के कृषिकरण की ओर रूचि नहीं ले रहे हैं। कुटकी एक दुर्लभ प्रजाति है। अतः इसका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है, जो कि इसके कृषिकरण द्वारा सम्भव है। यही समस्या फरण और कालाजीरा प्रजातियों के कृषिकरण के साथ भी है, कि उनका उत्पादन तो हो रहा है लेकिन खरीददार नहीं मिल पाते हैं। औषधीय वनस्पति फरण और

कालाजीरा मुख्यतः उत्तराखण्ड की भोटिया जनजाति द्वारा उगायी जाती है। इनका व्यावसायिक महत्व केवल उत्तराखण्ड तक ही सीमित है, राज्य से बाहर लोगों को इसके उपयोग के बारे में पता नहीं है। जबकि यह महत्वपूर्ण प्रजाति है, भोटिया जनजाति द्वारा इसका कृषिकरण किया जाता है ये लोग बताते हैं कि उत्पादित फरण का आधा हिस्सा खुद के लिए तथा रिश्तेदारों में वितरित कर दिया जाता है। इन लोगों का कहना है कि उत्पादन किया गया फरण उचित मूल्य में नहीं बिक पाता है, और समय से इसके खरीददार भी नहीं आते हैं जिस कारण इनको अपना माल कई समय तक घर पर ही संग्रहित करके रखना पड़ता है। स्थानीय भोटिया लोगों के अनुसार अगर इसके विपणन की सही व्यवस्था की जाए तो ये लोग वर्तमान से ज्यादा अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तथा भोटिया जनजाति की मुख्य समस्या पलायन की है शोध अध्ययन में अवलोकन किया गया कि गॉवों में अधिकतर 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग ही है, बाकी युवा सब पलायन कर गये हैं। ये एक प्रमुख समस्या है, पूछे जाने पर इन लोगों द्वारा कहा जाता है कि अगर औषधीय वनस्पतियों के कृषिकरण तथा विपणन की व्यवस्था उचित की गयी तो पलायन रूक सकता है, तथा इससे उनकी आजीविका का मुख्य साधन प्राप्त हो सकता है। उत्तराखण्ड की जलवायुगत एवं भौगोलिक विभिन्नताओं के फलस्रूप प्रदेश सरकार द्वारा यहॉ पर 38 प्रजातियों के कृषिकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिनमें से 26 महत्वपूर्ण प्रजातियों के कृषिकरण को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित कृषिकरण लागत का 50 प्रतिशत अनुदान भी जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल गोपेश्वर (चमोली) द्वारा प्रदान किया जाता है। शोध अध्ययन में पाया गया कि जिन प्रजातियों के कृषिकरण के लिए जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। उन में कई कृषक पंजीकृत होकर 50 प्रतिशत अनुदान लेकर भी प्रजातियों का कृषिकरण नहीं कर रहे हैं। कूठ के कृषिकरण के लिए पंजीकृत भूमि पर परम्परागत फसलें उगायी जा रही हैं, कारण पूछे जाने पर कृषकों के अनुसार संस्थान द्वारा कृषिकरण के लिए बीज उपलब्ध कराये गये, अनुदान दिया गया तथा कृषिकरण के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन जब उत्पादित माल तैयार हुआ तो इसके विपणन की कोई व्यवस्था नहीं मिली। जिससे उनको उत्पादित किया हुआ माल औसत से कम दर पर बेचना पड़ा, और हानि सहन करनी पड़ी। इसीलिए उन लोगों ने इनका उत्पादन करना बन्द कर दिया। ये प्रमुख समस्या है कि इन प्रजातियों की इतनी अधिक मांग होते हुए भी यहॉ बाजारीकरण की व्यवस्था उचित नहीं है। जबकि विश्व स्तर पर विशेष तौर पर यूरोपीय देशों में इन औषधीय वनस्पतियों की बहुत अधिक मांग है। उत्तराखण्ड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भी औषधीय वनस्पतियों के मांग और पूर्ति में बहुत बड़ा अन्तराल पाया गया है। योजना आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार सन् 2000 में औषधीय वनस्पतियों में मांग–पूर्ति का अन्तराल 40,000 – 2,00,000 टन था जो कि निरन्तर बढ़कर 4,00,000 टन के स्तर तक पहुॅचने की सम्भावना है (planning commission, 2000 & CRPA, 2001.) । ऐसी स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है औषधीय पादपों के उत्पादन व विपणन से सम्बन्धित समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं।

औषधीय वनस्पतियां प्राप्त करने के क्षेत्र– पिछले दशक में औषधीय पौधां के निर्यात में बृद्धि ने इन उत्पादों में और साथ ही पारम्परिक स्वास्थ्य प्रणालियों में दुनिया भर में दिलचस्पी दिखाई है। पिछले 10 वषों के दौरान पता चला है कि औषधीय पौधों का भारतीय निर्यात में दबदबा है। वास्तव में, आयुर्वेद परिष्कार सबसे शानदार तरीके से उपयोग की जाने वाली सामग्री की संख्या में सबसे आगे आता है और विभिन्न प्रकार के संसाधनों को एक साथ

सम्मिलित किया गया है। आधुनिक दवाईयों के उत्पादन में लगे दवा उद्योगों के विपरीत, परम्परागत चिकित्सा उत्पादन इकाइयां आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या में दवाइयों/उत्पादों की तैयारी के लिये बहुत अधिक संख्या में पौधे आधारित कच्ची दवाओं का उपयोग करती हैं। इस उद्योग में प्रयोग की जाने वाली दवायें विभिन्न पौधों के रूपों में प्राप्त की जाती हैं। मुख्य रूप से औषधीय वनस्पतियां पेड़ों (Trees) , जड़ी बूटियों (Herbs) ,झाड़ियों (Shrubs) , और बेलों (Climbers) के रूप में पाई जाती हैं ।

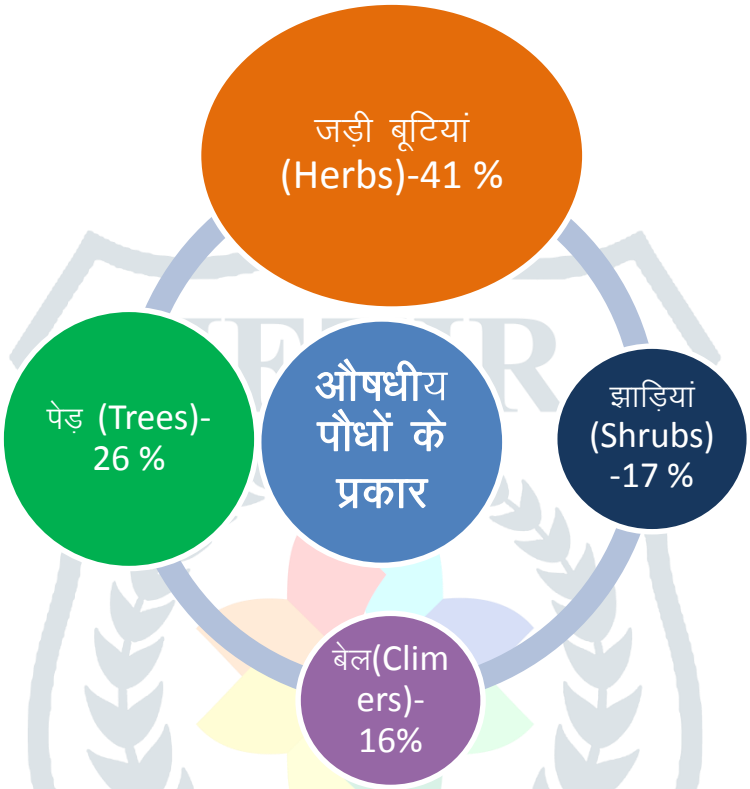

आकृति 1 औषधीय पौधों के प्रकार

औषधीय वनस्पतियों की विपणन व्यवस्था– औषधीय वनस्पतियों का संग्रह और व्यापार प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। हालांकि कारोबारियेां की संख्या में नियमित रूप से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पूर्व में जिन क्षेत्रों को औषधीय वनस्पतियों का सग्रंह केन्द्र बनाया जाता था वहां पर वन विभाग को रायल्टी का भुगतान करना होता था और लाइसेंसधारी ठेकेदार ही जिला स्तर की सहकारी समितियों के माध्यम से बिक्री कर सकते थे। अवैध कटान से जो औषधीय पौधे विलुप्ति के कगार पर पहुॅच गये उनको उनके प्राकृतिक स्थान से संग्रह करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया। औषधीय वनस्पतियों के व्यापारियों ने स्थानीय दलाल (स्थानीय व्यापारियों) को नियोजित किया, जिनका संग्रहणकर्ताओं के साथ सम्पर्क बना। संग्रहणकर्ता प्रकृति से जड़ी–बूटियॉ लाते हैं और उन्हें स्थानीय व्यापारियों को देते हैं और स्थानीय व्यापारी उन्हें व्यापारियों को हस्तगत करते हैं। संग्रहणकर्ता तथा स्थानीय व्यापारी ज्यादातर स्थानीय निवासी होते हैं, संग्रहणकर्ता और किसान अपने उत्पादों के विपणन के लिये स्थानीय व्यापारियों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। औषधीय पौधों के व्यापारी स्थानीय ऐजेंट (स्थानीय व्यापारियों)को नियोजित करते हैं, जो संग्रहणकर्ताओं के सम्पर्क में रहते है। संग्रहणकर्ता औषधीय पौधों को जगंलों या खेतों से एकत्र कर स्थानीय व्यापारियों को हस्तगत कर देते हैं। स्थानीय

व्यापारी इनको व्यापारियों को तथा व्यापारी क्षेत्रीय व्यापारियों को इसी क्रम में अन्ततः सामग्री दवा निर्माताओं तक पहुचती है जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है।

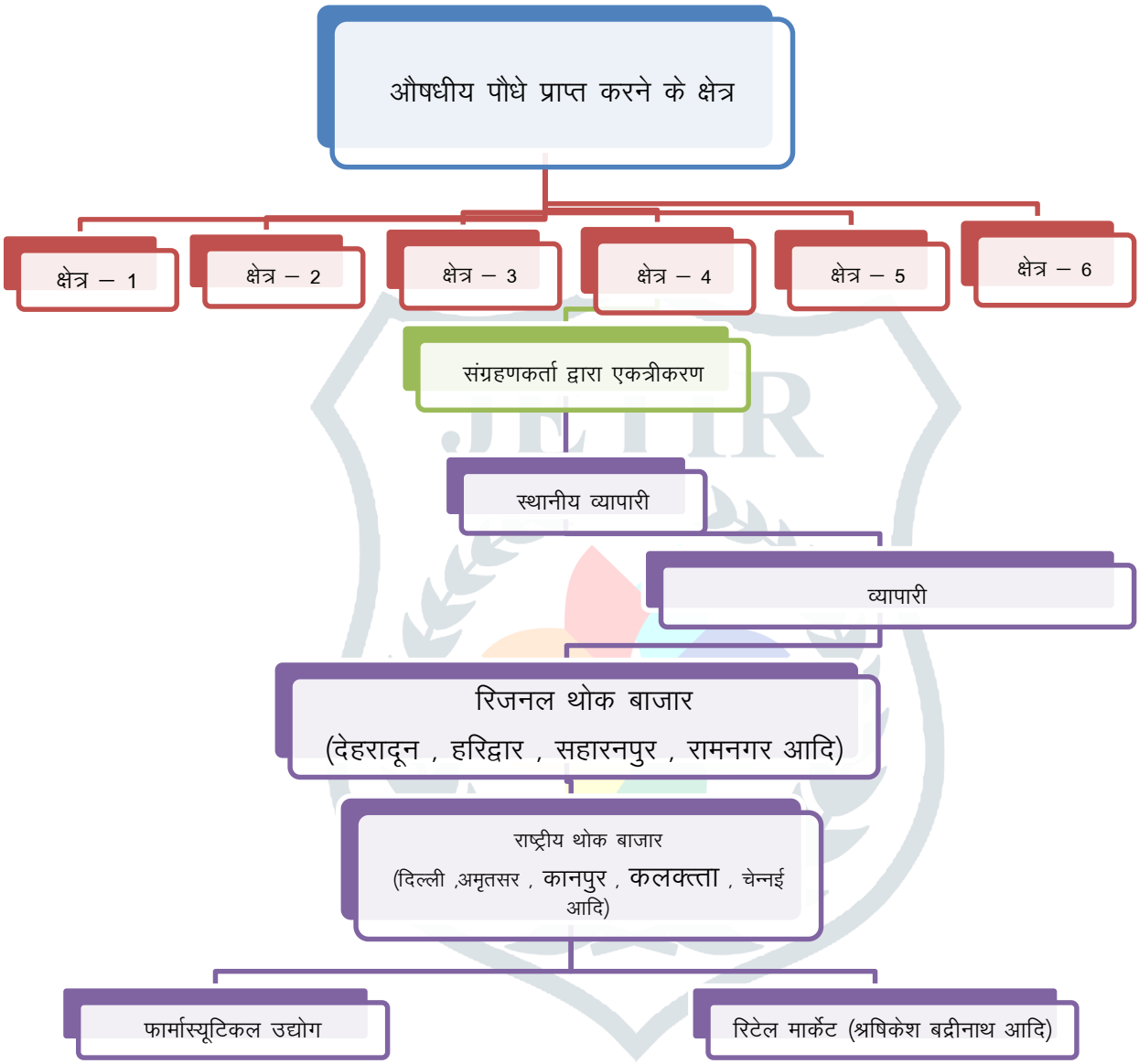

आकृति 2–औषधीय वनस्पति प्राप्त करने के क्षेत्र

औषधीय पौधों में व्यापार अत्यधिक जटिल है क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों को विपणन चैनल में विभिन्न स्तरों में शामिल किया जाता है। ऐसे लेनदेन की एक विशिष्ट श्रंखला जंगलों में इन पौधों की सामग्री के संग्रह से प्रारम्भ होती है जिसमें आदिवासियों और ग्रामीणों सहित महिलाओं और बच्चों, स्थानीय व्यापारियों/संचालकों के एक नेटवर्क द्वारा स्थानीय स्तर पर इन संग्रहों का एकीकरण और अन्त में वितरण सड़क–क्षेत्रीय केन्द्रों पर किया जाता है। पर ऐसे सड़क–क्षेत्रीय केन्द्रों पर एकत्र की जाने वाली सामग्री स्थानीय और क्षेत्रीय थोक बाजारों में आती है और बाद में शहरो/शहरों में स्थित व्यापार केन्द्रों में पहुंचती है। औषधीय पौधों व्यापार में लेनदेन की एक ऐसी श्रंखला है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में संग्रहणकर्ता, संसाधक (प्रोसेसर) और संचालक (हैंडलर), दलाल (कमीशन ऐजेंट)/मध्स्थ और वाहक शामिल हैं। क्षेत्रीय संग्रहणकर्ता से स्थानीय थोक व्यापारी संग्रहणकर्ता/ऐजेंट–अतं उपयोगर्ता या प्रमुख थोक व्यापारी/रिटेलर से बहुत सारे नये व्यापारकर्ताओं और व्यापार केन्द्रों के बीच होने वाले व्यापार लेनदेन के साथ है। व्यापार में मध्यस्थों की परस्पर क्रिया अभेद्य ढाल के रूप में कार्य करती है जो औषधीय पौधों के प्राथमिक संग्रहणकर्ता और उनके उपभोग केन्द्रों के बीच महत्वपूर्ण संचार को अवरूद्ध करती है। ठेकेदार/ऐजेंट प्रायः संग्रह को बहुत कम लागत में खरीदते है या वस्तु विनिमय प्रणाली का पालन करते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं के लिये इन कच्चे माल का आदान–प्रदान करते है। बाजारों और मध्यस्थों पर निर्भरता तक सीमित पहुंच का मूल्य कीमतों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। गढ़वाल मण्डल का जिला चमोली के एक गांव को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है। घेस गांव के उपरी पहाड़ी भाग सरमटा, खिकोला, हिमनी, बालन और निचली पहाड़ी भाग के पिनी और घेश के किसानों द्वारा औषधीय पौधों की खेती में उत्साही भागीदारी दृष्टिगोचर होती है। निकटतम मोटर सड़क से लगभग 35 कि0मी0 की लम्बी और कठिन पहाड़ी यात्रा के बाद गांव सामने आता है। मार्ग घने पाईस, हिमालयी ओक और सुन्दर बुरॉश के पेड़ों से अच्छी तरह से सम्पन्न समशीताष्ण जंगलों के माध्यम से शामिल है। यहां का वातावरण अद्वितीय आवास और वनस्पतियों के लिये मशहूर है। यह क्षेत्र यहां के समुदाय के लिये विविध अवसर प्रदान करता है क्योंकि कृषि जलवायु औषधीय वनस्पतियों के अनुकूल है। मुख्य रूप से यहां के लोग औषधीय वनस्पतियों में कुटकी (Picrorhiza kurrooa) और कूठ (Saussurea Lappa) का उत्पादन करते हैं। यहां के लोंगों ने हाई एल्टीट्यूट प्लांट फिजियोलाजी रिसर्च सेन्टर (एचएपीपीआरएस) तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक तकनीक एवं सहयोग प्राप्त किया। किसानों द्वारा अनौपचारिक रूप से एक उत्पादक संगठन (घेस किसान ग्रार्वस एसोसियेशन) को अपने उत्पाद बेचने के लिये बनाया। संगठन ने एक वर्ष में प्रत्येक तिमाही में समय समय पर दौरा किया और प्रगति का दस्तावेजीकरण किया। गतिविधि में सम्मिलित लोगों को पालीहाउस प्रबन्धन, पौधे की बीमारी और इलाज के लिये आवश्यक इनपुट पर सुविधाए प्रदान की गई। किसानों द्वारा अपने उत्पादों को संगठन के माध्यम से स्थानीय बाजार में या सीधे दवा निर्माताओं को बेचा गया। किसानों की इस पहल ने व्यापारियों के साथ आने के लिये व्यापारियों के बीच उत्साह बढ़ाया और उनके साथ व्यावसायिक कार्यक्रम भी तैयार किये। खरीद ऐजेंसियों द्वारा किसानों के साथ समझौता ज्ञापन तैयार कराये जाने के बाद गॉव के संगठन के माध्यम से औषधीय पौधों की किस्म की खरीद की।

गॉवों के किसानों के प्रयास ने घाटी के अन्य किसानों को फलदायी लाभ लेने और सम्बन्धित खेती के अनुभवों का अनुकरण करने के लिये प्रोत्साहित किया है। यह गतिविधि उन किसानों को एक नैतिक बढावा देती है जिनके पास कोई आशा नहीं थी और ना ही इस तरह की उपयोगी रूचि थी। इस प्रकार के कार्यक्रम ने प्रेषित किया कि निकट भविष्य में उच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार उत्तरकाशी जिले मे हरकेडोल और दिनारा के आसपास के इलाकों को ढकने करने वाली अल्पाइन और उप अल्पाइन साइट, टिहरी जिले में पंवाली कांथा, रूद्रप्रयाग जिले में माध्यमाहेशरी और चमोली जिले के जोशीमठ, पश्चिमी हिमालय में जगंली औषधीय पौधों (एमएपी) के सम्भावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उच्च उंचाई वाले क्षेत्र के लोग मई से अक्तूबर के दौरान अस्थाई रूप से बस्तियों में अपने मवेशियों के साथ क्षेत्रों के निर्माण में औषधीय वनस्पतियों की ओर पलायन करते हैं और नगदी आय बढ़ाने के लिये जड़ी–बूटियों का लाभ उठाते हैं। ऐसे क्षेत्रों के गांवों में एकत्र की गयी औषधीय वनस्पतियॉ पूरे बाजारों में कारोबार करते हैं।

वर्ष 2008 से 2010 तक उपरोक्त चयनित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर डेटा एकत्र किये गये और सूचनायें सभी क्षेत्रों से औषधीय वनस्पतियॉ व्यापार पर एकत्र की गई और वाउचर नमूना बनाये गये। व्यापार की संख्या और मात्रा के आधार पर संग्रहकर्ताओं ने प्रजातियों जो सभी क्षेत्रों में सक्रिय व्यापार में थी उन्हें विस्तार से जांच के लिये चुना गया। इन गॉवों से मिलायें गये औषधीय वनस्पतियॉ सम्बन्धित गतिविधियों के माध्यम से वार्षिक आय में लगे परिवारों की भागीदारी और वार्षिक शेयरों में भागीदारी का आंकड़ा एकत्र किया गया और औसत मूल्यों की गणना की गई। व्यापारियों को विभिन्न स्तरों पर , यात्रा के दौरान खर्च, परिवहन, यात्रा पर खर्च और अन्य शुल्कों के दौरान खर्च में कटौती के बाबजूद भी शुद्ध लाभ हुआ। इस क्षेत्र का मौजूदा बाजार जहां औषधीय वनस्पतियों का कारोबार होता है (देहरादून के थोक बाजार, हरिद्वार, सहारनपुर और बद्रीनाथ और श्रषिकेश के खुदरा बाजार) के सर्वक्षण से विदित हुआ कि किसानों के साथ साथ मध्यस्थ वर्ग को भी काफी लाभ हआ है।

शोध के लिये चयनित औषधीय वनस्पतियों कुटकी, फरण, कूठ और कालाजीरा के कृषिकरण से सम्बद्ध चमोली के कृषकों से इनके विक्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त की गई जिन्हें निम्नवत् तालिका में दर्शाया जा रहा है –

तालिका संख्या 1 – चयनित औशधीय वनस्पतियों का विभिन्न स्थानों पर विक्रय

क्र0सं0	विक्रेता का नाम	औषधीय वनस्पति विक्रय करने वाले कृषकों की संख्या			
		कुटकी	फरण	कूठ	कालाजीरा
1	मध्यस्थ	0	0	4	0
2	संरकारी संस्थान	12	1	33	22
3	उपभोक्ता	0	98	0	13
4	स्थानीय लोग	63	99	32	45
5	स्थानीय मेले	0	51	0	8
6	स्वयं के लिये	0	1	0	22
7	डाबर कम्पनी	0	0	2	0

स्त्रोतः सर्वेक्षण से एकत्रित प्राथमिक ऑकड़ों पर आधारित

▪यहॉ इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि मध्यस्थ, स्थानीय लोग, स्थानीय मेले एक ही श्रेणी में आते हैं।

स्थानीय कृषकों द्वारा बताया गया कि उनको उत्पादित माल बेचने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि सरकार कृषिकरण के लिए तो प्रोत्साहित करती है, लेकिन फसल तैयार होने के बाद विपणन प्रक्रिया में सहायक नहीं है कृषकों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है मध्यस्थ वर्ग अपनी इच्छानुसार मूल्य तय करते हैं तथा अन्य व्यापारियों को बेचते हैं। मध्यस्थ वर्ग स्थानीय लोग ही होते हैं। कुछ कृषकों का कहना है कि जब माल बिक नहीं पाता है तो ये लोग स्थानीय मेलों में जाकर भी अपने माल बेचते है, तथा कुछ ये लोग अपने स्वयं के लिए रखते हैं।

विपणन की व्यवस्था को निम्न आकृति द्वारा भी समझाया जा सकता है–

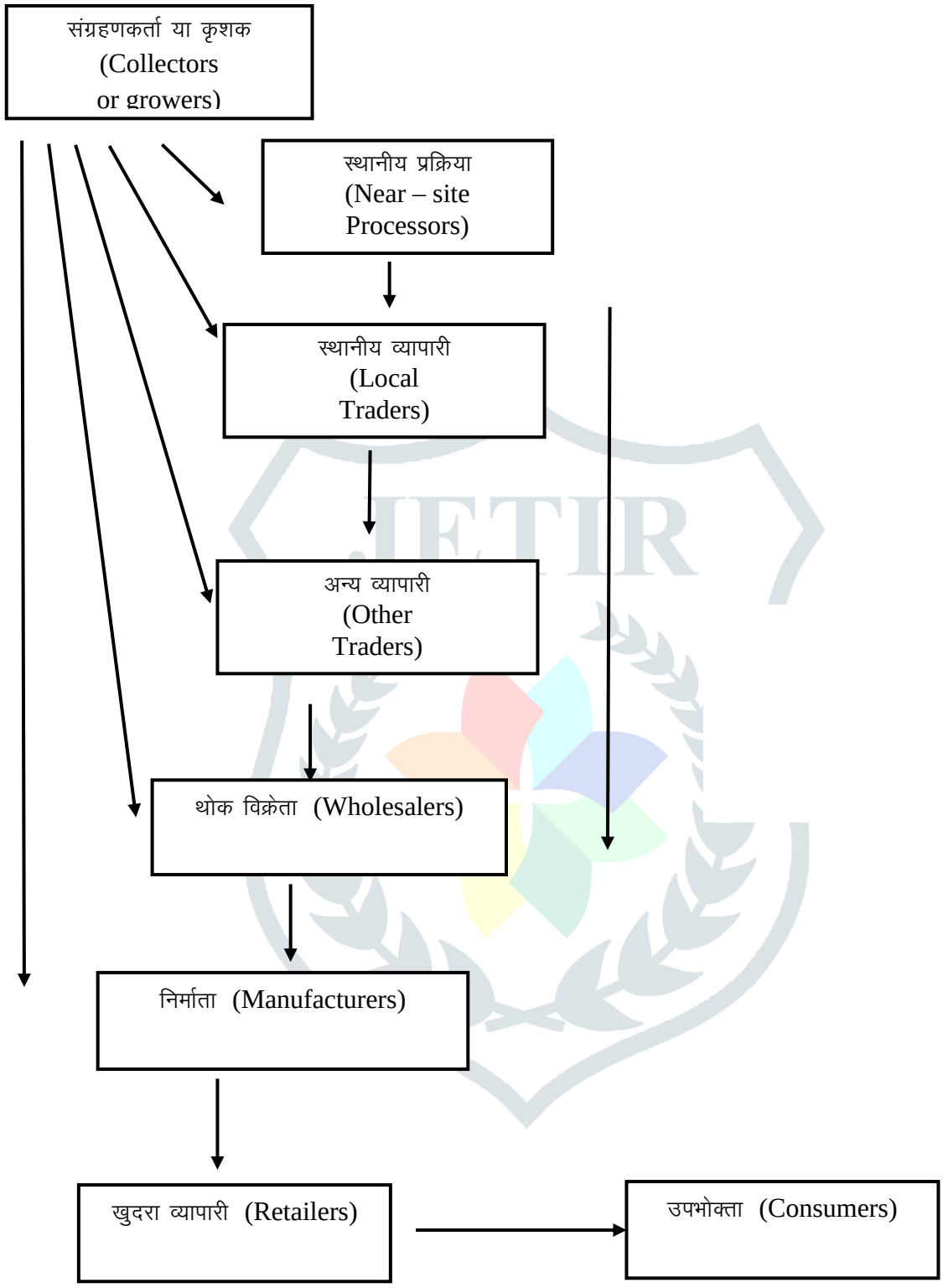

आकृति 3–शोध अध्ययन से ज्ञात विपणन की व्यवस्था

निष्कर्ष एवं सुझाव (Conclusion and suggestions)–

उपरोक्त विभिन्न समस्याओं का समाधान अति आवश्यक है, तभी औषधीय वनस्पतियों का संरक्षण तथा सतत् विकास सम्भव है। सर्वप्रथम सरकार को यहां उत्पादित सभी वनस्पतियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, ताकि कृषक निश्चित होकर वनस्पतियों का उत्पादन करें, क्योंकि वे लोग उत्पादन तो कर देते हैं, लेकिन उनको समय पर उचित मूल्य नहीं मिल पाता है।

उत्पादन से सम्बन्धित समस्याओं में सरकार को समय–समय पर प्रशिक्षण तथा बीज, कीटनाशक दवाऐं इत्यादि उपलब्ध करनी चाहिए, ताकि कृषक ऊपरी लागत से बचें। तथा नयी तकनीकों से इनको प्रशिक्षित किया जाए। मध्यस्थ वर्ग को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे अधिक लाभ मध्यस्थ वर्ग को ही मिलता है। सरकार को चाहिए कि कृषकों वर्ग को ध्यान में रख कर विपणन नीति को कुछ इस तरीके से बनाये कि उत्पादन से बिक्री तक मध्यस्थ वर्ग का हस्तक्षेप ना हो, कृषकों को अधिक से अधिक लाभ मिले।

औषधीय वनस्पतियों के संरक्षण हेतु जन–जन को जागरूक करना आवश्यक है। आज भी प्राकृतिक स्त्रोतों से इन वनस्पतियों का संग्रहण किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ कृषिकरण भी प्रगति पर है। स्थानीय लोगों को बताया जाए कि ये प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। अगर इसी तरीके से इसका दोहन होता रहा तो एक दिन ऐसा आयेगा कि ये जड़ी–बूटियां खत्म हो जायेंगी। संरक्षण का मतलब सही तरीके से बताया जाए ताकि स्थानीय लोग भी सहयोग करें, क्योंकि इनके सहयोग के बिना सब असम्भव है। संरक्षण के बिना विकास सम्भव नहीं है। कृषिकरण करने के लिए कृषकों को सुविधाएँ दी जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाये। शोध अध्ययन व अवलोकन के बाद औषधीय विनणन की एक योजना तैयार की गयी है जो निम्न है–

औषधीय वनस्पतियों के विपणन की योजना

दिल्ली एक्सपोर्ट हाउस (Delhi Export House)

↑ ↓

उत्तराखण्ड एक्सपोर्ट हाउस

↑ ↓

सरकारी संस्थान, NGO, भेषज संघ, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमाऊं मण्डल विकास निगम, वन विभाग

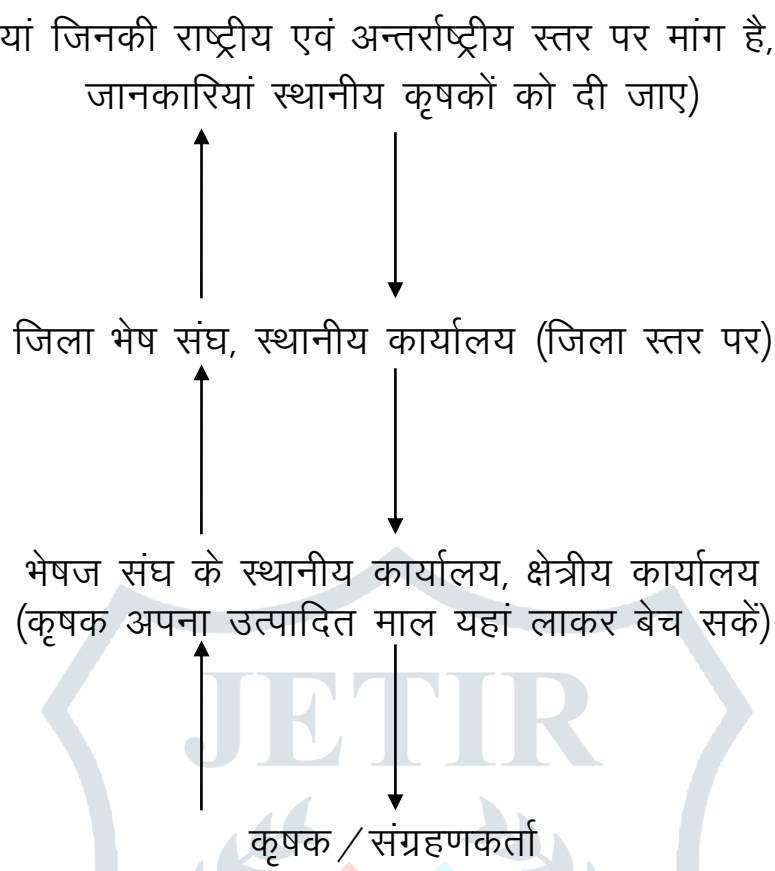

उपरोक्त आकृति शोध अध्ययन करने के बाद यह एक योजना प्रस्तुत की गयी है, इसमें यह कहा गया है कि दिल्ली एक्सपोर्ट हाउस जहॉ से सारी औषधीय वनस्पतियों की मांग तथा पूर्ति की जाती है, उसी तरह का निर्यात गृह उत्तराखण्ड में भी खोला जाए ताकि स्थानीय औषधीय वनस्पतियों की मांग सीधे यहॉ पर आये तथा इस निर्यात गृह द्वारा पूर्ति की जा सके। निर्यात गृह का सम्पर्क सरकारी संस्थान, NGO, भेषज संघ, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमाऊं मण्डल विकास निगम, वन विभाग से हो जो कि जिला भेषज संघ तथा जिला स्तर पर अन्य सम्बन्धी कार्यालय द्वारा विभिन्न जड़ी–बूटियां जिनकी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग है, उनके बारे में सारी जानकारियां स्थानीय कृषकों को दे पायें, तथा कृषक/संग्रकर्ता अपने उत्पादित माल को जिला भेषज संघ के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर बेच सके। हालांकि यह प्रक्रिया लम्बी है लेकिन इसमें सभी सहकारी संस्थान शामिल हैं जहॉ मध्यस्थों की कोई भूमिका नहीं है। यह प्रक्रिया औषधीय वनस्पतियों के कृषिकरण को बढावा देगी एवं कृषकों के आर्थिक स्तर पर सुधार भी करेगी। जिससे उत्तराखण्ड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (REFERENCES)

- **Census 2011: www.censusindia.gov.in/2011-Common/CensusData2011.html**
- **Kala CP (2006). Medicinal plants of the high altitude cold desert in India: Diversity, distribution and traditional uses. International Journal of Biodiversity Science and Management. 2: 1-14.**
- **Negi, P.S., Jayaprakasha, G.K., Jena, B.S. (2010). Evaluation of antioxidant and antimutagenic activities of The extracts from the fruit rinds of Garcinia cowa. International Journal of Food Properties 13, 1256–126**
- ***Planning Commission, 2000 & CRPA, 2001* accessed through http://planningcommission.gov.in**
- जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा प्रकाशित हिम हर्बल दर्पण, अगस्त **2010 .**
- **http://ayushdarpan.blogspot.in/2010_03_28archive.html**
- Industrial Profile of District-Chamoli (Uttarakhand)
- राज्य औषधीय पादप बोर्ड, उत्तराखण्ड
- जिला अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग चमोली